ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 420-422

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

भारत में प्रजातंत्र की चुनौतियाँ

शैलेश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राम रतन सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज, शाहाबाद, रामपुर (उ0प्र0) भारत।

Received- 04.08.2020, Revised- 07.08.2020, Accepted - 10.08.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail-com

सारांश : ***वर्तमान में प्रजातन्त्र एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक–सामाजिक आदर्श व मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसीलिए आज लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्र इतना व्यापक हो चुका है कि इसके आदर्शों की सराहना हर व्यक्ति करता है। प्रजातंत्र ने शासन सत्ताओं का स्वरूप बदला है और बड़े–बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त किया है। प्रजातंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। प्रजातंत्र को आज सम्पूर्ण मानवता ने आत्मसात किया है।***

प्रजातंत्र को अंग्रेजी में 'डेमोक्रेसी' कहते हैं, जो यूनानी शब्दों 'डिमोस' (Demos) तथा 'क्रेटिया' (Kratia) का योग है। 'डिमोस' का अर्थ जनता या प्रजा तथा 'क्रेटिया' का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार शब्दों के योग के आधार पर प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन है। हिन्दी में प्रजातंत्र का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे–लोकतंत्र, जनतंत्र, बहुतंत्र।

कुंजीभूत शब्द– प्रजातंत्र, राजनैतिक, सामाजिक आदर्श, लोकतंत्र, शासन प्रणाली, सराहना, ध्वस्त, आत्मसात।

प्रजातंत्र की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है क्योंकि इस प्रणाली में अनेक व्यक्तियों का दबदबा होता है। विद्वानों ने इसे मात्र शासन प्रणाली के रूप में ही स्वीकार नहीं किया है वरन् प्रजातंत्र को जीवन की एक पद्धति के रूप में माना है। यद्यपि प्रारंभ में प्रजातंत्र को राजनैतिक पक्ष से ही सम्बन्धित अवधारणा माना जाता रहा किन्तु वर्तमान में इसे राजनैतिक पहलू तक ही सीमित नहीं माना जाता है। यह सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष से भी उतना ही महत्त्व रखता है जितना कि राजनैतिक पक्ष से प्रजातंत्र का सामाजिक पक्ष व्यक्तियों को सामाजिक समानता पर बल देता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियों में रंग, भाषा, जाति, नस्ल, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेद–भाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक–पक्ष व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा का वचन देता है।

इस सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का एक प्रकार ही नहीं बल्कि राज्य का एक रूप तथा समाज की व्यवस्था का एक–दूसरा नाम भी है। साधारण शब्दों में, प्रजातंत्र या लोकतंत्र का आशय उस व्यवस्था को है जहाँ पर जनता स्वयं अथवा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा खुद अपना शासन करती है।

भारत का अपना स्वतंत्र विधान 26 जनवरी, 1950 से प्रभावशील माना गया है। आज भारत में प्रजातंत्र की उम्र पचपन वर्ष को पार कर चुकी है। भारत जैसे विकाशील राष्ट्र के लिए प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था अपरिहार्य है। भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में अनेक असमानताएँ विद्यमान हैं। व्यक्तित्व के विकास, जीवन स्तर में वृद्धि, राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समान रूप से भागीदारी आदि के लिए भारतीय जनता में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में अत्यधिक आस्था है। आधुनिक युग की भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र एक आदर्श जीवन के रूप में स्वीकार किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय प्रजातंत्र में शासन सम्बन्धी अन्तिम शक्ति जनता के पास निहित है। फलतः जनता द्वारा चुनी गई संसद के पास नीतिगत निर्णय या नियमों के निर्माण आदि का अधिकार रहता है। इसी प्रकार की व्यवस्था भारतीय संघ के प्रत्येक प्रान्तों में भी अपनाई जाती है। प्रान्तों में सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और यह पद उसे प्राप्त होता जो राज्य की विधान सभा का नेता हो और राज्य विधान सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सभा होती है, जो मुख्यमंत्री तथा राज्य के अन्य मंत्रियों को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों में भी जनतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर चुनाव सम्पन्न कराए जाते हैं और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में शासन संचालन की सभी इकाइयाँ लोकतांत्रिक नियमों द्वारा बनाई जाती है। प्रत्येक स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि तथा मंत्री जनता के लिए निश्चित समय तक शासन करते हैं और उसके पश्चात् निर्वाचनों के माध्यम से जनता पुनः अपने शासक को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

निर्वाचित करती है। भारत में अन्य बातों के सामान्य रहने पर प्रत्येक पाँच वर्षों में लोकसभा व विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न होते हैं। यह क्रम निरन्तर जारी रहता है तथा जनता अपने मत शक्ति' के द्वारा अपनी पसन्द का शासक चुनती है।

वर्तमान में भारतीय प्रजातंत्र में कई विसंगतियाँ परिलक्षित होती हैं। इन विसंगतियों को दूर किए बिना प्रजातंत्र कहने को तो रहेगा, लेकिन वास्तविक प्रजातंत्र की कल्पना व्यर्थ की ही होगी। हमें यह देखना है कि प्रजातंत्र की मान्यताएँ भारत में किस सीमा तक हैं, क्या भारतीय प्रजातंत्र निश्चित शर्तों व मानदंडों को पूरा करता है अथवा नहीं? अधोलिखित कारणों से भारत में प्रजातंत्र पूर्ण रूप से सफल नहीं कहा जा सकता है।

1. अशिक्षा (Illiteracy)– अशिक्षा भारतीय प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा दोष है। जनगणना 2001 आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 65 प्रतिशत ही है जबकि 35 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर ही है। निरक्षर जनता प्रजातंत्र के आदर्शों व सिद्धान्तों को नहीं समझ पाई है। अशिक्षित जनता अपने अधिकारों व कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहती है। परिणामस्वरूप जनता सरकार के कार्यों के प्रति उदासीन रहती है। अशिक्षित व भोली–भाली जनता को राजनैतिक व्यक्ति बहला–फुसलाकर उनसे मत खरीद लेता है किन्तु इसके एवज में उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है। जब तक भारत की सम्पूर्ण जनता साक्षर नहीं हो जाती, तब तक वह प्रजातंत्र के मूल्यों को नहीं समझ सकती और न ही हम प्रजातंत्र की तस्वीर ही देख पाएँगे। हमारी संसद और विधान परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधि भी निरक्षर होते हैं। ऐसे अशिक्षित प्रतिनिधियों से, जो सरकार का अंग हैं, से जनता क्या अपेक्षा कर सकती है? अतः आवश्यकता इस बात की है कि अशिक्षा जैसी समस्याओं को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत में प्रजातंत्र का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा।

2. आर्थिक व सामाजिक विषमता (Economic & Social Disparity)– भारत एक प्रभुत्व–सम्पन्न गणराज्य है। यहाँ की शासन प्रणाली प्रजातंत्रात्मक है और वह बाह्य दिखावे से भरपूर है। भारत में कुछ ही धनी वर्ग के लोग हैं। अधिकतर लोग गरीब वर्ग के हैं। सामाजिक विषमता भारतीय ग्रामीण समाजों में गहरी पैठ जमाए हुए है। यहाँ ब्राह्मण सर्वोच्च है तो शुद्र निम्न है। ये सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक असमानताएँ इस बात को संकेत करती हैं कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र मात्र सिद्धान्त में है. व्यवहार में नहीं है। अतः भारत में प्रजातंत्र की महत्ता तभी स्वीकार की जाएगी जब ऊँच–नीच, धनी–गरीब की खाई को पाट दिया जाएगा।

3. सुव्यवस्थित राजनैतिक दलों का अभाव (Absence of well&organised Political Partie)– गाँधी जी राय ने लिखा है कि "प्रजातंत्र की सफलता के लिए सुव्यवस्थित राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है।" भारत में इनका आज अभाव हो गया है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी एक मजबूत, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित राजनैतिक दल थी। लेकिन उसका भी ध्रुवीकरण हुआ और वह टूटती तथा अनेक खण्डों में बिखरती जा रही। इस प्रकार भारत की प्रजातंत्र की जड़ को यदि और अधिक मजबूत बनाना है तो विभिन्न राजनैतिक दल अपनी विचारधाराओं एवं सिद्धान्तों को स्थिर व सदस्यों में अनुशासन की व्यवस्था को कायम रखना होगा।

4. वर्ग विहीन समाज का अभाव (Absence of Classless Society)– प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था समानता की पोषक होती है। इसमें जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय व लिंग के आधार पर सभी को समान रूप से देखा जाता है। किन्तु भारतीय समाज में विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है। यहाँ अमीर–गरीब, उच्चता–निम्नता, हिन्दू–मुस्लिम व स्त्री पुरुषों की स्थितियों में बहुत असमानताएँ विद्यमान हैं। समाज विभिन्न खंडों, संस्तरणों में विभाजित है। फलस्वरूप इस विभिन्नता युक्त समाज में प्रजातंत्र की सफलता की उम्मीद करना कल्पना मात्र होता है। साम्प्रदायिक दंगे, धार्मिक विद्वेष आदि भारत में प्रजातंत्र की असफलता को परिलक्षित करते हैं।

5. नैतिक मूल्यों का अभाव (Absence of Moral Value)– प्रजातंत्र की सफलता के लिए बहुत कुछ हमारे नैतिक मूल्य व नैतिक आदर्श उत्तरदायी होते हैं। भारतीय प्रजातंत्र में इसका अभाव है। यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के पूर्व जनता से किए हुए वायदों को भूल जाते हैं तथा जनता की अवहेलना करते हैं। आज संसद व राजनीति में अपराधी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं। इन सबको दूर करने पर प्रजातंत्र की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

6. निष्पक्ष समाचार पत्रों व टी.वी. चौनलों का अभाव (Absence of Impartial Newspapers and T-V-Channel)– प्रजातंत्र में सभी को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। विचारों के आदान–प्रदान में विभिन्न समाचार पत्रों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। समाचार पत्र प्रजातंत्र के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में होते हैं। भारत के सभी समाचार टी.वी. चैनल व अखबार किसी न किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हैं, जो उस विशेष की वार्ता को ही प्रचारित करते हैं। चौनल व अखबार व्यावसायिक ज्यादा होते हैं और जनसाधारण की बातों का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

प्रकाशन कम होता है।

7. संगठित जनमत का अभाव (Absence of Organised Public Opinion)– प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अस्त्र जनमत होता है। एक स्वस्थ जनमत ही एक स्वस्थ प्रजातंत्र की भावना विकसित करता है। स्वस्थ जनमत किसी भी देश को एक नवीन दिशा देता है जिसके आधार पर समाज और राष्ट्रपति की प्रगति संभव होती है। भारत में जनमत का स्वरूप स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति में साधारण जनता किसी एक पार्टी की 'लहर' में सम्मिलित होकर चुनाव में मत देती है जो स्वस्थ जनमत को तैयार करने में बाधक है। भारत में स्वस्थ जनमत के लिए राजनैतिक प्रशिक्षण (Political Training) की आवश्यकता है। सन् 2004 लोक सभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दों का अभाव देखने को मिला। मतदाता ने बुनियादी आवश्यकताओं का हित जिस उम्मीदवार पार्टी में समझा उसी को वोट दिया। बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार ऐसे बुनियादी मुद्दे उभर कर सामने आये।

8. राष्ट्रीय चरित्र दोषपूर्ण (Defectful National Character)–राष्ट्रीय चरित्र का प्रजातंत्र की सफलता में महत्त्वपूर्ण भाग होता है। यदि चरित्र नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान से देखा जाए तो भारत के लोगों में अनुशासन में रहने की आदत नहीं दिखाई देती। इसके लिए बल और शक्ति का सहारा लिया जाता है। आज भारत में स्वार्थवादिता, भ्रष्टाचारिता, कटुता आदि का पनपना हमारे राष्ट्रीय के चरित्र को उजागर करता है। भाई–भतीजावाद, घूसखोरी आदि हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हनन करते हैं। योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन तक में पक्षपात किया जाता है। इस प्रकार के चरित्र से प्रजातंत्र की भावना नष्ट होती है। वास्तव में यदि भारत का राष्ट्रीय चरित्र सुधर जाए तो भारत विश्व में 'जगतगुरु' की परम्परा को पुनः प्रतिस्थापित कर सकता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश बन सकता है।

भारत में राष्ट्रीय के मूल्यों के अनुरूप जो कार्य हुए हैं उनकी व्याख्या गाँधी जी राय ने निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया है :–

(i) शिक्षा का प्रचार–प्रसार तेजी से हो रहा है।

(ii) आर्थिक–सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन किया जा रहा है और इसके लिए कुछ राज्य सरकारें आवश्यक कानून भी बना रही हैं। जमींदारी–प्रथा का उन्मूलन इस दिशा में एक सही प्रयास है।

(iii) भूमि की जोत सीमा निर्धारित की जा रही है तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा पर भी नियंत्रण लगाने के प्रयास चल रहे हैं। आर्थिक समानता के नाम पर संविधान में अनेक संशोधन किए जा रहे हैं।

(iv) बैंकों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण प्रजातंत्र की सफलता में आवश्यक कदम ।

(v) अल्पसंख्कों के हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र को काफी सक्रिय बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है।

(vi) वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(vii) समाचार पत्रों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सरकार ने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है और विरोधी राजनैतिक दलों को भी चुनावों के दौरान टेलीविजन और रेडियो प्रयोग की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में प्रजातंत्र के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। महात्मा गाँधी, पं० नेहरू आदि ने भारत को प्रजातंत्र की भूमि कहा है। दुनिया के इस बड़े लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसमें जो भी दोष या कमियाँ हैं, उन्हें दूर दिया जाना चाहिए तभी हमारे भारत के लोकतंत्र की व्यावहारिक तस्वीर साफ–सुथरी रह सकेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jain and Fadia " Political Sociology.
2. Lipset, S.M. : Political Man The Social Bases of Politics, Garden city, New York: Doubleday and Co, Inc. 1960.

*****